आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर शस्त्र वाद सं 96/2014	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **सुदेश्वर सिंह, पिता–स्व0 चन्देश्वर सिंह, सा0–पचलख, थाना–परसा, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2179/गो0 27.6.12 के द्वारा आवेदक सुदेश्वर सिंह, पिता–स्व0 चन्देश्वर सिंह, सा0–पचलख, थाना–परसा, जिला–सारण का एक रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। दिनांक 24.7.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई थी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया था। आवेदक के द्वारा बताया गया था कि वे खेती–बाड़ी करते हैं। प्रभात कुमार सिंह, भा.प्र.से. के पुत्र रवि प्रकाश सिंह की हत्या 2009 में हुई थी, जिसमें सुनील राय को छोड़ सभी नामजद अभियुक्त जेल से बाहर आ गए हैं, जिनसे उन्हें जानमाल का खतरा है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए एक रायफल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, परसा के ज्ञापांक 995 दिनांक 10.5.12 के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् अंचलाधिकारी, परसा के पत्रांक 366 दिनांक 7.6.12 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 1162 दिनांक 9.6.12 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2179/गो0 दिनांक 27.6.12 के द्वारा प्रेषित किया गया। पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंकित नहीं है। अतः इस न्यायालय के पत्रांक 899 दिनांक 26.8.14 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण से खतरे की आशंका के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 4998/गो0 दिनांक 2.11.14 के द्वारा थानाध्यक्ष, परसा के	

प्रतिवेदन (डी.आर. 2576 दिनांक 31.10.14) को संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आवेदक की उपस्थिति में आज दिनांक 9.12.14 को पुनः सुनवाई की गयी एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। थानाध्यक्ष, परसा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक रवि प्रकाश सिंह, पे0–स्व0 प्रभात कुमार सिंह, भा.प्र.से., ग्राम–पोखरपुर, थाना–परसा, जिला–सारण के मित्र हैं। रवि प्रकाश की हत्या के अभियुक्त सुनील राय को छोड़कर सभी जमानत पर हैं। इन्हें जमानत पर जेल से बाहर निकले अभियुक्तों से जानमाल का खतरा बना रहता है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक के उपर व्याप्त खतरे के मद्देनजर उन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष, परसा एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक सुदेश्वर सिंह, पिता–स्व0 चन्देश्वर सिंह, सा0–पचलख, थाना–परसा, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रायफल की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 11/न्या० दिनांक 07/01/2015
प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, सारण/जिला शस्त्र शाखा, सारण/DIO, NIC सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
प्रभारी जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।